The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) to (d). The recommendations of the Seminar are still under examination and it is not possible to express any opinion at this stage.

Andaman and Nicobar

2725. **Shrimati Savitri Nigam**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 814 on the 2nd December 1964 and state:

(a) whether a ship of the firm M/s Akoojee Jadwet Trading Co. was involved in any other irregularity while playing in he Andaman and Nicobar water during April-May, 1964 or thereabout;

(b) if so, the nature and extent of such irregularity;

(c) the action Government has taken against the ship or its owners; and

(d) the steps taken to prevent the recurrence of such or other irregularities by the ships of the firm in future?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). Yes, Sir. The master of the vessel is reported to have failed to deliver bills of coastal goods, and sailed the vessel without obtaining a written order from the "proper officer" permitting the vessel to depart from the port.

(c) The matter is under examination

(d) The "proper officer" is competent under the law to take cognizance of such irregularities and take suitable action.

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कर्मचारी

2726. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री रामसेवक यादव :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन की सेवा तीन वर्ष से अधिक हो गई है किन्तु उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है; और

(ख) भूतपूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार अभी तक प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी न करने के क्या कारण है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 188. इनके अतिरिक्त 39 व्यक्ति प्रति नियुक्ति पर हैं जो निर्देशालय में तो अस्थाई हैं किन्तु उनका अपने-अपने पिछले विभागों में स्थायी पदों पर नियत है ।

(ख) यह मामला पहले ही विचाराधीन है ।

निष्क्रान्त भूमि पर अनधिकृत कब्जा

2727. **श्री प० ला० बाइपाल :**
श्री समनानी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगानगर जिले में हजारों मुसलमानों द्वारा जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गये हैं; छोड़ी गई जायदाद पर जो सामान्यतया कास्टोडियन को मिलनी चाहिये थी, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सरकारी अनुमति प्राप्त किये बिना कब्जा कर रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनसे जमीन वापस लेने अथवा इस

मामले की जांच के लिये एक गैर-सरकारी नागरिक समिति नियुक्त करने का है ?

पुनर्वास मन्त्री (श्री त्यागी) : (क) सरकार को ऐसे किसी दृष्टान्त का पता नहीं है जिसमें कि जिला गंगानगर में निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अधिकार में हो । जो जायदादें मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई थीं वे निष्क्रान्त सम्पत्ति, प्रशासन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत कास्टोडियन के अधिकार में है । ऐसी जायदाद का अधिकार एलाटमेंट या निपटारा ऊपर कहे गये अधिनियम तथा विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है ।

(ख) यदि कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि अमुक भूमि निष्क्रान्त जायदाद है और उसे अभी तक निष्क्रान्त जायदाद प्रशासित नहीं किया गया है तो इस सम्बन्ध में कास्टोडियन द्वारा अपने रिकार्ड को पूरा करने तथा कानून के अनुसार ऐसी भूमि के प्रशासन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

आदेशों का हिन्दी अनुवाद

2728. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री उटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने ऐसे कोई निर्देश दिये हैं कि कल्याण कार्यों संबन्धी सभी आदेशों तथा अन्य स्थायी आदेशों का हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस निर्देश का पालन कर रहा है;

(ग) 1, जनवरी, 1964 के बाद उन के मंत्रालय से कल्याण संबन्धी कितने परिपत्र भेजे गये और उन में से कितनों का हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा गया है; और

(घ) शेष परिपत्रों के साथ हिन्दी अनुवाद क्यों नहीं भेजा गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) कुल मिलाकर 10 परिपत्र जारी किए गए । सभी परिपत्रों के साथ उनके हिन्दी अनुवाद भी थे ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति

2729. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प० ला० बारुपाल :
श्री किशन पटनायक :
श्री उटिया :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे आदेश निकाले थे कि प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग में कम से कम एक हिन्दी अधिकारी अवश्य नियुक्त किया जाये ;

(ख) किस किस मंत्रालय और विभाग ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है ; और

(ग) उनके ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?